

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2022—कार्तिक 4, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 2-01-2022-इक्सठ-लोसेप्र.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व विभाग की निम्नानुसार सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित पदनाम	प्रथम अपील का समय-सीमा	प्रथम अपील के निराकरण की गई पदनाम	द्वितीय अपील अधिकारी का समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.20	भूमि पर विलंगम तथा प्रभार (Encumbrance and charges) का प्रमाण-पत्र.	तहसीलदार / अपर	01 कार्य दिवस	अनुबिभागीय अधिकारी	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, उपसचिव.